प्रेस नोट

दिनांक 13.07.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वारंटी/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 322/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र राजपूत पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर को एक्सप्रेस-वे के पुल के नीचे वहद् ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

दिनांक 05.07.2025 को थाना राठ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, कि थाना राठ क्षेत्रांतर्गत ग्राम चिल्ली में विजय बहादुर राजपूत पुत्र स्व0 स्वामी प्रसाद, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी ग्राम चिल्ली, थाना राठ, जनपद हमीरपुर की उनके ट्यूबवेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस तथा उच्चाधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी। थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई थी। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 322/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि मृतक से उसकी पत्नी का अवैध सम्बन्ध होने का संदेह के कारण वह रंजिश रखता था व दिनांक 05.07.2025 वह शराब के नशे में दिन मे अपने खेत में बने सोलर पम्प की कोठरी में जाकर बैठा गया और बौरा दादा के आने का इन्तजार करने लगा, जब मृतक दोपहर में अपने ट्यूबवेल की कोठरी में पहुंचे और चारपाई पर लेट गये, थोडी देर बाद अभियुक्त उनके कोठरी में पहुंचकर सोता हुआ देख पास में रखे फावड़े के पिछले हिस्से से सिर व चेहरे पर वार कर हत्या कर फावड़ा वहीं मौके पर छोड़कर अपने सोलर पम्प में पहुंचकर कपड़े बदलकर छिपा दिया और पीछे खेत के रास्ते तुलसी फैक्ट्री के पीछे से अपने घर पहुंच गया, एवं पुन: अपनी पत्नी के साथ अपने ट्यूबवेल पर आया और फावड़ा मांगने के बहाने मृतक के ट्यूबवेल पर गया वापस लौटकर अपनी पत्नी को बताया कि बौरा दादा (मृतक) की किसी ने हत्या कर दी है। अभियुक्त द्वारा घटना के दिन पहने कपड़े सफेद शर्ट व लोवर पुरानी इस्तेमाली जिसमें खून के छींटे पड़े हुए थे बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

वीरेन्द्र राजपूत पुत्र रामेश्वर (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

एक बण्डल में घटना के दिन पहने हुए सफेद शर्ट व लोवर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक रामआसरे सरोज	2. उ0नि0 विनेश गौतम थाना राठ
3. उ0नि0 शिवम दत्त थाना राठ	4. उ0नि0 सचिन शर्मा (SOG प्रभारी)
5. हे0का0 उमाशंकर शुक्ला SOG	6. हे0का0 विजेन्द्र सिंह थाना राठ
7. का0 अतुल कुमार SOG	8. का0 सुरेन्द्र मिश्रा SOG
9. का0 शक्ति सिंह SOG	10. का0 अतुल तिवारी SOG
11. का0 अभिषेक राजपूत थाना राठ	12. का0 मनोज शर्मा थाना राठ